कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1184 FP/UK/ROAD/13657/2015 दिनॉकःदेहरादून 20 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 8बी./यू.सी.पी./06/100/2016/एफ0सी0/2303, दिनांक–16.01.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 16.01.2020** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	The case has already been closed vide letter date 25-09-2017. State Government may submit the reason for delay of almost four years to submit the proposal.	User agency has been mentioned that there was delay in finding the suitable land for CA area and also the counting of trees has been done for 9 mtrs width in forest land as it has been done in 7 mtrs width earlier.
2	State Government may submit request for re-opening in view of the para 1.20 of guidelines.	For re-opening of the proposal in view of the para 1.20 of guidelines following conditions are fulfilled. a. No changes in the proposal has been made in terms of scope, purpose and other important aspects from original proposal. b. All the requires information is being made available as required by forest department. c. User agency has been mentioned that there was delay in finding the suitable land for CA area and also the counting of trees has been done for 9 mtrs width in forest land as it has been done in 7 mtrs width earlier.
3.	State Government may mention the name of the person in the authorization letter.	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा authorization letter में अधिकारी का नाम उल्लेख कर ऑनलाईन पोर्टल में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
4.	It is seen that one village i.e. Naliwala submitted to be benefited but on perusal of the KML file two habitataion seems connceting from the proposed road. State Government may mark the location of the village in KML file.	बिन्दु संख्या–04 के क्रम प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि KML file में दिखाई दे रही सम्पूर्ण habitataion नालीकला ही है। स्पष्ट करना है कि KML file में दिखाई दे रही दूसरी habitataion ग्राम–सभा नालीकलां की एक तोक है, जो कि इसी ग्राम–सभा में सम्मिलित है।

5.	Cost benefit analysis uploaded in old format. It is mentioned in the letter that cost benefit analysis has been uploades in new format but the same is still in old format. State Government may upload cost benefit analysis in new format.	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा Cost benefit analysis निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन पोर्टल में यथास्थान अपलोड अपलोड कर दिया गया है।
6.	In the VLC proceeding of village Naliwala, name of village Talai mentioned in the last para. State Government may submit clarification in this regard.	बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC proceeding में संशोधन कर लिया गया है।
7.	State Government may upload the administrative approval, land schedule, CA scheme, Geologist report, work not start certificate and joint inspection report online.	बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा administrative approval, land schedule, CA scheme, Geologist report, work not start certificate and joint inspection report ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट–I में Additional information column के क्रमशः क्र0सं0–23, 21, 18, 27, 26 व 27 में अपलोड कर दी गयी है।
8.	As per component wise breakup filled in para-B 2.4 in Part-I, 0.27 ha area is taken for muck disposal. On perusal of the muck disposal plan, it is found that 0.24 ha proposed in forest land (0.18 ha in RF & 0.06 ha in Civil soyam) and 0.03 in non forest land. State Govt. may remove this discrepancy and submit clarification.	बिन्दु संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा para-B 2.4 in Part-I में component wise breakup में संशोधन कर सही कर लिया गया है।
9.	State Government may explore possibilities to avoid muck disposal in reserve forest area.	बिन्दु संख्या–09 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डम्पिंग क्षेत्र को आरक्षित वन भूमि से बदलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया है किन्तु पाया गया कि मक डम्पिंग क्षेत्र को आरक्षित वन में चयनित करना अपरिहार्य है।
10.	State Government may submit the details of trees to be affected in muck dumping area.	बिन्दु संख्या–10 के कम में अवगत कराना है कि मक डम्पिंग हेतु वृक्षहीन क्षेत्र का चयन किया गया है, जिसमें किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है।
11.	As per DSS analysis 3 ha area found VDF and 14 ha in MDF proposed in degraded forest area. State Govt. may change the CA area with some other area suitable for plantaion having no MDF & VDF.	बिन्दु संख्या–11 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि का चयन कर लिया गया है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज एवं मानचित्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिये गये है।
12.	State Government may submit/upload the bar chart, muck disposal plan & Justification duly countersigned by DFO.	बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बार चार्ट एवं Justification में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
13.	Rs. 288700/- plan prepared by DFO for transplantion of trees falling in 0-10 cm. State Government may submit the comments in view of the discussion held in earlier REC meeting for transplantion in hill area.	बिन्दु संख्या–13 के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित संरेखण का वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक–07.12.2015 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। मार्ग के संरेखण मे प्रभावित होने वाले 0–10 सेमी0 व्यासवर्ग के 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन

		कर्मियों की देखरेख में transplantion किये जाने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में उक्त वृक्षों के transplantion योजना मय प्राक्कलन के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि slow growing spcies i.e. Oak, Rhododendron, Cedrus etc. का transplantion प्रभाग में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस मोटर मार्ग में निर्माण से ऊपर लिखित प्रजातियों के 0–10 सेमी0 के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिस हेतु transplantion scheme उच्च स्तर को प्रेषित की गयी है।
14.	Two NPV calculation sheet found uploaded in Part-II. State Government may remove the discrepancy and submit correct NPV calculation sheet.	बिन्दु संख्या–14 के अनुपालन में ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट–II के Additional Column में संशोधन कर सही NPV calculation sheet अपलोड की गयी है।
15.	Repetitive documents file found uploaded in part-I & part-II. State Govt. may sumit clarification in this regard.	बिन्दु संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा Repetitive documents को ऑनलाईन पोर्टल के पाट–I व पार्ट–II से हटा लिया गया है।
16.	Comments not made by DFO in his site inspection report against all columns. State Government may submit the site inspection report of DFO mentioning comments against each para.	बिन्दु संख्या–16 के अनुपालन में डी0एफ0ओ0 द्वारा दिनांक–23.08.2020 को मोटर–मार्ग हेतु चयनित समरेखण का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है एवं इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
17.	State Government may submit the original hard copy of following documents :- a. Site inspection report of DFO. b. Site inspection report of CF. c. Digital map & SoI toposheet of proposed road duly C/s by DFO. d. Justification duly C/s by DFO. e. FRA. f. Revised detailed muck disposal plan duly C/s by DFO. g. CA site suitability ceritificate. h. CA Scheme. i. Administrative approval. j. Land schedule. k. Geologist report l. Aerial distance from national park/wild life sanctuary. m. Work not start certificate. n. Joint inspection report. o. Tree enumeration list in dumping area.	बिन्दु संख्या–17 के अनुपालन में निम्न दस्तावेजो की मूल प्रति को ऑनलाईन अपलोड़ कर दिया गया है।
18.	उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम छोर पर एक पक्का मार्ग पूर्व से उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित मार्ग का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	बिन्दु संख्या–18 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण से नालीकलां ग्राम सभा की राजधानी क्षेत्र देहरादून से दूरी कम हो जायेगी, जिससे ग्रामवासियों को उच्च शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं एवं कृषि उपज को मंडियों में पहूंचाने में आसानी होगी।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/10/20

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी